

विहंगावलोकन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक क्षेत्र पर 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन में 'उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण नियमों एवं कानूनों के कार्यान्वयन' की निष्पादन लेखापरीक्षा, 'राज्य पर्यटन परिपथों में सुविधाओं के उन्नयन और विस्तारीकरण' पर लेखापरीक्षा एवं सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों के वित्तीय संयवहार से सम्बन्धित चार प्रस्तर शामिल हैं। महत्वपूर्ण प्रेक्षणों का सार नीचे दिया गया है:

निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों ने वांछित उद्देश्यों को कम से कम लागत पर प्राप्त किया है और अभीष्ट लाभ पहुँचाया।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 'पर्यावरण नियमों एवं कानूनों के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा'

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) का गठन उत्तर प्रदेश सरकार (उप्रस) द्वारा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत वर्ष 1975 में किया गया था। यूपीपीसीबी नियोजन, समन्वय, प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण और पर्यावरण के विनियमों के अनुसार पर्यावरण के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की नोडल एजेंसी है। निष्पादन लेखापरीक्षा 2011-12 से 2015-16 तक पाँच वर्षों को आच्छादित करते हुए की गयी।

लेखापरीक्षा के प्रमुख परिणामों की चर्चा नीचे की गयी है:

प्रदूषण के स्रोतों की सूची का तैयार न होना

यूपीपीसीबी के पास वर्तमान औद्योगिक इकाइयों की व्यापक और पूर्ण सूची नहीं थी। सूची के अभाव में, प्रदूषण के स्रोतों और पर्यावरण में उत्सर्जित प्रदूषकों के प्रकार एवं मात्रा की पहचान नहीं हो सकी।

(प्रस्तर 2.1.7.1)

जल उपकर

- यूपीपीसीबी नियमित रूप से नगर निकायों द्वारा देय जल उपकर का निर्धारण करने और बिल जारी करने में असफल रहा और 2005-2014 के दौरान ₹ 146.43 करोड़ के जारी किए गए बिलों की राशि वसूलने में भी असफल रहा। इसके अतिरिक्त, उद्योगों से अप्राप्त जल उपकर की राशि भी मार्च 2012 के ₹ 384.75 करोड़ से बढ़कर मार्च 2016 में ₹ 1,050.13 करोड़ हो गयी।

(प्रस्तर 2.1.8.4)

- जल उपकर अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, जल उपकर यूपीपीसीबी द्वारा संग्रहित किया जाता है और भारत सरकार (जीओआई) के पास जमा किया जाता है। यूपीपीसीबी द्वारा वसूल एवं जमा की गयी राशि का अस्सी प्रतिशत जीओआई द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। यूपीपीसीबी जल उपकर का ₹ 193.32 करोड़ का अपना अंश भारत सरकार से प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि यह पूर्व में प्राप्त जल उपकर का उपयोग करने में असफल रहा।

(प्रस्तर 2.1.8.4)

जल की गुणवत्ता का अपर्याप्त विश्लेषण

यूपीपीसीबी, प्रयोगशालाओं में अपर्याप्त परीक्षण सुविधाओं के कारण नदियों और अन्य जलाशयों में पानी की गुणवत्ता के आंकलन के लिए नौ मूल मानकों में से छः का अनुश्रवण नहीं कर सका।

(प्रस्तर 2.1.9.1)

राज्य की नदियों/जलाशयों में उच्च प्रदूषण

गंगा और गोमती नदियों सहित राज्य की सभी 12 प्रमुख नदियों और छः जलाशयों में जल की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुसार नहीं थी। बीओडी स्तर और कुल कॉलिफोर्म मात्रा निर्धारित मानक क्रमशः 3 मिलीग्राम/ली0 के बराबर या कम और 500 सर्वाधिक संभावित संख्या/100 मिली लीटर (एमपीएन/मि0ली0) के बराबर या कम, से अधिक था। इसके मुख्य कारण अपर्याप्त सीवेज/औद्योगिक उत्प्रवाह प्रशोधन संयंत्र की सुविधाएं एवं वर्तमान प्रशोधन सुविधाओं की असम्यकार्यता थे। यूपीपीसीबी दोषियों के विरुद्ध जो कि नगर निकाय और उद्योग थे, उचित कार्यवाही करने में असफल रहा।

(प्रस्तर 2.1.9.1)

वायु प्रदूषकों की अपर्याप्त निगरानी

यूपीपीसीबी, अपर्याप्त परीक्षण सुविधाओं के कारण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित वायु की गुणवत्ता के निर्धारित 12 मापदंडों में से सिर्फ तीन मापदंडों का अनुश्रवण कर रहा था।

(प्रस्तर 2.1.9.2)

पार्टिकुलेट मैटर का मानक से अधिक उत्सर्जन

छः प्रमुख शहरों, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, नोएडा और वाराणसी में पी एम₁₀ का वार्षिक औसत स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के मानक की तुलना में सामान्यतः अत्यधिक था जो कि 87 से 347 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के मध्य विस्तारित था। यूपीपीसीबी इस संबंध में पर्याप्त कदम उठाने में असफल रहा।

यह अलीगढ़, रायबरेली और सोनभद्र में थर्मल पावर संयंत्रों में जनित फलाई एश की निगरानी और 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित नहीं कर सका। इसकी निगरानी नहीं करने का कोई कारण अभिलेखित नहीं था।

(प्रस्तर 2.1.9.2)

नगरीय ठोस अपशिष्ट(एमएसडब्ल्यू) का आंशिक प्रशोधन

राज्य में लगभग 15,403 मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिदिन एमएसडब्ल्यू जनित होता था। इसमें से प्रतिदिन केवल 1,521 मीट्रिक टन का प्रशोधन हो रहा था क्योंकि 620 नगर निकायों में एमएसडब्ल्यू के प्रशोधन की सुविधा नहीं थी। यूपीपीसीबी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने में असफल रहा।

(प्रस्तर 2.1.9.3)

वाराणसी और लखनऊ में प्रदूषण के स्तर में विरोधाभास

लेखापरीक्षा ने राज्य के दो महत्वपूर्ण शहरों वाराणसी और लखनऊ में 2011 से 2015 के मध्य जल, वायु और नगरीय ठोस अपशिष्ट के सम्बन्ध में प्रदूषण के स्तरों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि यद्यपि वाराणसी में जनसंख्या घनत्व लखनऊ से अधिक था तथापि वाराणसी के निकट गंगा नदी में जल प्रदूषण लखनऊ में गोमती नदी में जल प्रदूषण की तुलना में कम था। वायु प्रदूषण भी वाराणसी में लखनऊ की तुलना में कम था। लखनऊ में वाहनों की संख्या वाराणसी में वाहनों की संख्या के दोगुने से अधिक है जिसने लखनऊ में वायु प्रदूषकों के स्तर में वृद्धि में योगदान किया। वाराणसी में एमएसडब्ल्यू प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रशोधन की सुविधा शुरू हो गई है, जबकि लखनऊ में यह अभी भी ट्रायल रन में है।

(प्रस्तर 2.1.9.4)

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) प्रशोधन की अपर्याप्त सुविधा

राज्य में, 8,366 स्वास्थ्य उपचार प्रतिष्ठान (एचसीई) थे जिसमें से 3,362 एचसीई प्राधिकार के बिना कार्यरत थे। राज्य में कुल बीएमडब्ल्यू उत्पत्ति 37,498 किग्रा/दिन थी जिसमें से केवल 35,816 किग्रा/दिन का प्रशोधन और निस्तारण किया गया। अपर्याप्त प्रशोधन सुविधा होने के कारण 1,682 किग्रा/दिन बीएमडब्ल्यू बिना शोधन के निस्तारित किया जा रहा था। किन्तु यूपीपीसीबी अनाधिकृत संचालन और बीएमडब्ल्यू

के अशोधित निस्तारण का अनुश्रवण करने में और दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने में असफल रहा।

(प्रस्तर 2.1.9.5)

परिसंकटमय अपशिष्ट के अवैध डंप साइट

राज्य में पाँच अवैध डंप साइटों (चार कानपुर में और एक देवा रोड, बाराबंकी में) पर लगभग 1,41,432 एमटी परिसंकटमय अपशिष्ट कई वर्षों से डम्प किया हुआ पाया गया, लेकिन यूपीपीसीबी द्वारा अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप भूजल और वायु प्रदूषित हुए।

(प्रस्तर 2.1.9.6)

ई-अपशिष्ट

राज्य में ई-अपशिष्ट की 27 रीसाइक्लिंग/संग्रहण/उत्पादक इकाइयों (कुल क्षमता 89,886 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष) में से 11 इकाइयाँ (42,840 एमटीए, कुल क्षमता का 48 प्रतिशत) प्राधिकार के बिना कार्यरत थी। तथापि, यूपीपीसीबी द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई।

(प्रस्तर 2.1.9.7)

औद्योगिक इकाइयों का अपर्याप्त निरीक्षण

यूपीपीसीबी द्वारा उद्योगों के निरीक्षण की क्रियाविधि अपूर्ण थी क्योंकि लाल (अत्यधिक प्रदूषित), नारंगी (औसत प्रदूषित) और ग्रीन (कम प्रदूषित) वर्गीकृत औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण के लिए चयन मनमाने तरीके से और मानकों के विरुद्ध किया गया। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निरीक्षण के लक्ष्य के निर्धारण और उसकी प्राप्ति में भी कमी थी।

(प्रस्तर 2.1.10.2)

‘राज्य पर्यटन परिपथों में सुविधाओं के उन्नयन और विस्तारीकरण’ पर लेखापरीक्षा

पर्यटन विभाग (विभाग), उत्तर प्रदेश सरकार (उप्रस), राज्य में पर्यटन के विकास के लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। विभाग, पर्यटन निदेशालय (निदेशालय) जिसका सृजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1972 में किया गया, के माध्यम से कार्य करता है। लेखापरीक्षा ने ₹ पाँच करोड़ और उससे अधिक स्वीकृत लागत की सभी 27 योजनायें (100 प्रतिशत) और ₹ दो करोड़ और ₹ पाँच करोड़ के बीच स्वीकृत लागत की 27 योजनायें (50 प्रतिशत) नमूने के रूप में चयनित की।

लेखापरीक्षा के दौरान प्रकट हुए लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा नीचे की गयी है:

- पर्यटन नीति 1998 बनने के बाद 18 वर्ष बीत जाने के बावजूद, निदेशालय ने पर्यटन परिपथों के संतुलित एवं उचित विकास के लिये कोई भी परिपथ-वार मुख्य योजना और एकीकृत योजना तैयार नहीं की। इसके अतिरिक्त, विभाग ने राज्य में पर्यटकों के आगमन में वृद्धि के लिये योजनाओं का कोई भी मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया।

(प्रस्तर 2.2.2.1 एवं 2.2.2.3)

- वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान, राज्य सरकार ने राज्य के वित्तीय बजट से विभाग को पूँजीगत बजट के रूप में ₹ 583.33 करोड़ प्रदान किये जो कि राज्य के कुल बजट का केवल 0.19 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, कार्यों के समापन में देरी के कारण केवल ₹ 339.51 करोड़ (58.20 प्रतिशत) खर्च किये जा सके।

(प्रस्तर 2.2.3)

- निदेशालय एक ऐसे बैंक खाते का संचालन कर रहा था जिसे सरकार द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, निदेशालय द्वारा उक्त खाते से किये गये लेनदेनों के अभिलेखीकरण के लिये रोकड़ बही और प्रमाणकों का रखरखाव नहीं किया।

(प्रस्तर 2.2.3.3)

- 54 जाँची गयी योजनाओं में से केवल 14 योजनायें, सात वर्ष से अधिक एवं छः महीने की देरी से पूर्ण हुईं। शेष योजनायें निष्पादन के विभिन्न चरणों के तहत चल रही थी। इसके अतिरिक्त, छः पूर्ण योजनायें पूरा होने की तारीख के बाद से मार्च 2016 तक 12 महीने से 49 महीने से अधिक अवधि से हस्तान्तरण के लिये लम्बित थी। योजनाओं के निष्पादन में देरी का मुख्य कारण, जैसा कि लेखापरीक्षा ने विश्लेषण में पाया, कार्यदायी संस्थाओं के लिए किसी समय-सीमा का निर्धारण न करना, भूमि की व्यवस्था करने में विफलता, कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य प्रारम्भ करने में देरी और अनुश्रवण में कमी, थे।

(प्रस्तर 2.2.4.1, 2.2.4.2, 2.2.4.3 एवं 2.2.5.2)

- पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा तय समय-सीमा के भीतर योजनाओं के क्रियान्वयन में विफलता के कारण निदेशालय ₹ 31.25 करोड़ की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सका।

(प्रस्तर 2.2.4.2)

- कार्यों का समय से आरम्भ सुनिश्चित करने में निदेशालय की विफलता के कारण ₹ 47.98 करोड़ की निधि कार्यदायी संस्थाओं के पास अवरुद्ध रही तथा ₹ 1.84 करोड़ की ब्याज की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.4.2 एवं 2.2.4.3)

- 10 योजनाओं (स्वीकृत लागत ₹ 110.30 करोड़) में विभाग ने अनियमित तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कार्यदायी संस्थाओं को नियुक्त किया।

(प्रस्तर 2.2.4.4)

अनुपालन लेखापरीक्षा

- हापुड़-पिलखुआ प्राधिकरण 102 भूखण्डों की बिक्री पर अवस्थापना विकास निधि हेतु ₹ 3.67 करोड़ का अधिभार लगाने में असफल रहा।

(प्रस्तर 3.1)

- आगरा विकास प्राधिकरण को नगरीय विकास प्रभार कम लगाये जाने तथा कम वसूले गये नगरीय विकास प्रभार पर ब्याज न लगाये जाने से ₹ 3.13 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.2)

- वाराणसी विकास प्राधिकरण ने, ₹ आठ करोड़ के अप्रयोज्य ऋण को देरी से वापस करने के कारण, ₹ 0.75 करोड़ के परिहार्य ब्याज का भुगतान किया।

(प्रस्तर 3.3)

- सम्बन्धित सरकारी विभागों को यूजर चार्ज हस्तान्तरित न होने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार को ₹ 2.84 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.4)